डाकघर अधिनियम 2023

प्रिलिम्स के लिये:

डाकघर अधिनियम, 1898, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा, भू- राजस्व, वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार।

मेन्स के लिये:

डाकघर अधिनियम, 2023 का महत्त्व और इसकी कमियाँ।

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को निरस्त करते हुए डाकघर अधिनियम 2023 लागू हुआ।

डाकघर अधिनियम 2023 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **वस्तुओं का अवरोधन और निरोध:**
  - **धारा 9:** यह प्रावधान केंद्र को किसी भी **अधिकारी को राज्य सुरक्षा, विदेशी संबंध** आदि से संबंधित कारणों से किसी भी डाक वस्तु को रोकने या रोकने के लिये अधिकृत करने की अनुमति देता है।
  - जिन वस्तुओं में प्रतिबंधित सामान होने का संदेह हो या जिन पर सीमा शुल्क लगने का संदेह हो, उन्हें सीमा **शुल्क प्राधिकारियों** को सौंपा जा सकता है।
- **दायित्व से छूट:**
  - **धारा 10:** डाकघर और उसके **अधिकारियों को सेवाएँ प्रदान करने के दौरान हानि,** गलत वितरण, देरी या क्षति के लिये देयता से छूट दी गई है, सिवाय जैसा कि निर्धारित किया गया हो।
- **दंड और अपराधों का उन्मूलन:** नया अधिनियम 1898 के अधिनियम में उल्लिखित सभी **दंड और अपराधों** को समाप्त कर देता है, जिनमें डाक अधिकारियों द्वारा कदाचार, धोखाधड़ी तथा चोरी से संबंधित दंड एवं अपराध भी शामिल हैं।
  - इसमें **भुगतान न किये गए सेवा शुल्क** को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलने का प्रावधान शामिल है।
- **धारा 7 के अंतर्गत जुर्माना: प्रत्येक व्यक्ति जो डाकघर द्वारा प्रदान की गई सेवा** का लाभ उठाता है, उसे ऐसी सेवा के संबंध में शुल्क का भुगतान करना होगा।
- **केंद्र की विशिष्टता को हटाना: नया अधिनियम पत्रों को पहुँचाने के लिये** केंद्र के विशेषाधिकार को हटा देता है, यह विशेषाधिकार 1980 के दशक में निजी कूरियर सेवाओं के उदय के कारण प्रभावी रूप से अप्रचलित हो गया था।
  - यह **अधिनियम अब स्पष्ट रूप से निजी कूरियर सेवाओं** को अपने विनियामक दायरे में लाता है तथा सरकार की विशिष्टता की हानि को मान्यता देता है और साथ ही केवल पत्रों को ही नहीं, बल्कि किसी भी डाक सामग्री को बंद एवं रोकने के दायरे का विस्तार करता है।
- **डाक सेवा महानिदेशक:** नया अधिनियम डाक सेवा के महानिदेशक को **विभिन्न अतिरिक्त सेवाएँ प्रदान करने के लिये आवश्यक गतिविधियों से संबंधित विनियम बनाने के लिये अधिकृत** करता है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, साथ ही इन सेवाओं हेतु शुल्क निर्धारित करने के लिये भी अधिकृत करता है।
  - यह विधेयक डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली **किसी भी सेवा के लिये निर्धारित शुल्क में संशोधन करते समय संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त** कर देता है।
- **पहचानकर्त्ता एवं पोस्ट कोड: अधिनियम की धारा 5(1) में कहा गया है कि "केंद्र सरकार वस्तुओं पर पते, पता पहचानकर्त्ता एवं पोस्ट कोड के उपयोग के लिये मानक निर्धारित कर सकती है"।**
  - यह प्रावधान **एक दूरदर्शी अवधारणा** है और साथ ही किसी परिसर की सटीक पहचान के लिये भौगोलिक निर्देशांक के आधार पर भौतिक पते को डिजिटल कोड से परिवर्तित कर देगा।

भारतीय डाकघर अधनियिम, 1898

- यह भारत में डाकघरों से संबंधति कानून को समेकति एवं संशोधति करने के उद्देश्य से **1 जुलाई 1898** को लागू हुआ।
- यह केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली **डाक सेवाओं के वनियिमन का प्रावधान** करता है।
- यह केंद्र सरकार को पत्रों के संप्रेषण पर वशिष वशिषाधकिार प्रदान करता है और साथ ही **पत्रों के संप्रेषण पर केंद्र सरकार का एकाधकिार** स्थापति करता है।

डाकघर अधनियिम 2023 में क्या मुद्दे हैं?

- **डाक सेवाओं का वनियिमन कूरयिर सेवाओं से भन्निताएँ:** [उपभोक्ता संरक्षण अधनियिम, 2019] भारतीय डाक द्वारा सेवाओं पर लागू नहीं होता है, लेकनि यह नजी कूरयिर सेवाओं पर लागू होता है। डाकघर अधनियिम, 2023 जो **वर्ष 1898 के अधनियिम को प्रतस्थापति** करने का प्रयास कर रहा है, वह इन प्रावधानों को बनाए रखता है।
- **प्रक्रयात्मक सुरक्षा उपायों के अभाव से मूल अधकिारों का उल्लंघन:** वधियक में डाक वस्तुओं के अंतर्रोधन के वरिुद्ध कोई प्रक्रयात्मक सुरक्षा उपाय नर्दिष्ट नहीं कयिा गया है। इससे **नजिता के अधकिार** और **वाक् एवं अभवि्यक्त स्वातंत्र्य** के अधकिार का उल्लंघन हो सकता है।
  - दूरसंचार के अंतर्रोधन के मामले में ***??????? ??????? ??? ?????? ?????????? (PUCL) ????? ????? ??? (1996)*** मामले में **सर्वोच्च न्यायालय** ने अभनिर्धारति कयिा कि अंतर्रोधन की शक्त को वनियिमति करने के लयि एक उचति एवं सम्यक प्रक्रयिा मौजूद होनी चाहयि।
  - अन्यथा **अनुच्छेद 19(1)(a)** (वाक् एवं अभवि्यक्त स्वातंत्र्य) और **अनुच्छेद 21** (प्राण एवं दैहकि स्वतंत्रता के अधकिार के एक भाग के रूप में नजिता का अधकिार) के तहत नागरकिों के अधकिारों की रक्षा करना संभव नहीं होगा।
- **'आपातकाल' का आधार उचति प्रतबिंधों से परे है:** 1898 अधनियिम की ही तरह, वर्तमान अधनियिम में आपातकाल को स्पष्ट रूप से परभिाषति नहीं कयिा गया है।
- **सेवाओं में चूक की दशा में दायतिव से छूट:** अधनियिम के तहत प्रदत्त रूपरेखा रेलवे के मामले में लागू कानून के वपिरीत है, जसिमें **रेलवे दावा अधकिरण अधनियिम, 1987** के माध्यम से माल की हानि, क्षति, डलिीवरी न होने और करिाया वापसी जैसी शकिायतों का समाधान कयिा जाता है।
- **सभी अपराधों और दंडों को हटाना:** वर्ष 1898 के अधनियिम के तहत, डाक अधकिारी द्वारा डाक वस्तुओं को अवैध रूप से खोलना दो वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडनीय था। इसके वपिरीत, वर्ष 2023 के अधनियिम के तहत ऐसे कृत्यों के वरिुद्ध कोई दंड नहीं होगा। इससे व्यक्तयिों की नजिता के अधकिार पर प्रतकिूल प्रभाव पड़ सकता है।

आगे की राह

- **सुदृढ़ प्रक्रयात्मक सुरक्षा उपाय शामलि कयिा जाना:** इंडयिा पोस्ट के माध्यम से प्रेषति वस्तुओं के अवरोधन के लयि स्पष्ट और व्यापक प्रक्रयात्मक सुरक्षा उपाय लागू कयि जाने की आवश्यकता है।
  - इसमें वाक् एवं अभवि्यक्त की स्वतंत्रता और व्यक्तयिों की नजिता के अधकिार की रक्षा के लयि **नरीक्षण तंत्र, न्यायकि वारंट** तथा संवैधानकि सद्धांतों का पालन शामलि होना चाहयि।
- **अवरोधन के आधार को परभिाषति करना:** अवरोधन के आधारों को **परषि्कृत और स्पष्ट** रूप से परभिाषति करें, वशिष रूप से 'आपातकाल' शब्द को, ताकि सुनश्चिति हो कि यह संवधिान के तहत युक्तयिुक्त नर्बिंधों के साथ संरेखति हो।
  - ***????? ????????????? ?? ??????????, ?????????? ?? ????? ????? ?????? ?????, 2005*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नर्णिय सुनाया कि जब **गोपनीय दस्तावेज़ बैंक को दयि जाते हैं या व्यक्तगित सामान डाकघर को दयि जाते हैं** तो **नजिता का अधकिार** बरकरार रहता है तथा कसिी भी तलाशी एवं ज़ब्ती के लयि लखिति कारणों की आवश्यकता होती है।
- **संतुलति दायतिव ढाँचा: डाकघर की स्वतंत्रता और कार्यकुशलता को खतरे में डाले बनिा उत्तरदायतिव के लयि स्पष्ट नयिम नर्धिारति करके उसकी जवाबदेही सुनश्चिति करना।**
  - सक्षम प्राधकिारी को **'सद्भावना' खंड के बनिा अवरोधन शक्तयिों** के कसिी भी जानबूझकर दुरुपयोग के लयि जवाबदेह ठहराया जाना चाहयि।
- **अनधकिृत उद्घाटन को संबोधति करना: उपभोक्ता गोपनीयता की रक्षा के लयि डाक को अनाधकिृत रूप से खोलने पर डाक अधकिारयिों को दंडति करने तथा कदाचार, धोखाधड़ी और चोरी के लयि व्यक्तयिों को उत्तरदायी ठहराने के लयि कानून बनाना।**

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. डाकघर अधनियिम, 2023 के कार्यान्वयन के संदर्भ में गोपनीयता की चुनौतयिों पर चर्चा कीजयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

???????????:

प्रश्न. भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? (2024)

(a) अनुच्छेद 15
(b) अनुच्छेद 16
(c) अनुच्छेद 19
(d) अनुच्छेद 21

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/post-office-act-2023